गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचना का प्रकाशन व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में।

———————

बिन्दु–1. संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

गन्ना विकास का अभ्युदय

गन्ने का मूल स्थान भारतवर्ष है। पौराणिक कथाओं तथा भारत के प्राचीन ग्रन्थों में गन्ना व इससे तैयार की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पाया जाता है विश्व के मध्य पूर्वी देशों सहित अनेक स्थानों से ही इस उपयोगी पौधे को ले जाया गया। प्राचीन काल से गन्ना भारत में गुड़ तथा राब बनाने के काम आता था।

सन 1920 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने चीनी व्यवसाय की उज्जवल भविष्य की कल्पना करे हुए इण्डियन शुगर कमेटी की स्थापना की थी। वर्ष 1930 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की गन्ना उप समिति की सिफारिश पर एक टैरिफ बोर्ड की स्थापना की गयी, जिसने भारत सरकार से चीनी उद्योग को आरम्भ में 15 वर्षों के लिए संरक्षण देने की सिफारिश की । फलतः भारत में सन् 1931 में चीनी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया।

भारत की प्रथम प्राचीनतम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित हुई थी। भारत सरकार द्वारा शुगर केन एक्ट 1934 द्वारा प्रदेशीय सरकारों को किसी क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए वैक्यूम पैन चीनी मिलों द्वारा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया।

उत्तर प्रदेश में सन् 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल एक्ट 1938 लागू किया। वर्ष 1953–54 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम 1953 लागू हुआ।

गन्ना विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य –

1. विभिन्न गन्ना विकास कार्यक्रमों द्वारा प्रति इकाई भूमि, जल एवं उर्वरक के उपयोग से अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन प्राप्त करना।
2. गन्ना कृषकों व चीनी मिलों की आवश्यकतानुसार उन्नतिशील गन्ना प्रजातियों का विकास करना तथा गन्ना खेती के विविध तकनीकी को विकसित करना।
3. चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पर्याप्त गन्ना क्षेत्र व गन्ना का आवंटन करना, गन्ना किसानों को उनके द्वारा समितियों के माध्यम से आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाना।

4. चीनी मिल गेट से 15 कि0मी0 क्षेत्र के बाहर खांडसारी इकाइयों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचारोपरान्त लाइसेन्स देना तथा कयकर वसूलना।

5. किसानों को नवीनतम उन्नतिशील गन्ना खेती की विधियों की जानकारी देना तथा गन्ना कृषकों, मिल व विभागीय, कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
6. आवश्यकतानुसार गन्ना किसानों को कृषि निवेश, ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराना

7. चीनी मिलवार गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण कराना, पेड़ी पौधा शीघ्र व सामान्य प्रजातियों के अन्तर्गत क्राप कटिंग कराकर प्रति हेक्टेयर गन्ना उपज का आंकलन कराना।
8. चीनी मिल क्षेत्रों में नवीनतम गन्ना प्रजातियों की पौधशालायें स्थापित कर गन्ना कृषकों को बीज गन्ना उपलब्ध कराना।
9. गन्ने की फसल पर रोग एवं कीटों के नियंत्रण हेतु कृषकों को जानकारी देना तथा कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
10. प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक गन्ना उपज प्राप्त करने की दृष्टि से गन्ना फसल प्रतियोगितायें आयोजित कराना तथा चीनी मिल क्षेत्रों में अधिकतम् गन्ना उपज का आंकलन करना।

इन उददेश्यों की पूर्ति तथा कार्यों के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का पद सृजित है, जो पदेन, सहकारी चीनी मिलों व सहकारी गन्ना समितियों का निबंधक (रजिस्ट्रार) होता है।

गन्ना एवं चीनी आयुक्त विभिन्न विकास योजनायें बनाकर उन्हें कार्यान्वित कराते हैं, चीनी मिलों को गन्ना पूर्ति के लिए क्षेत्र आरक्षित करते हैं, गन्ना पूर्ति की नीति निर्धारित करते हैं, चीनी मिलों का निरीक्षण करते हुए उन पर अपेक्षित नियंत्रण रखते हैं, गन्ना मूल्य और क्रयकर का भुगतान कराते हैं, किसानों से सट्टा किये गये कुल गन्ने को पेरने के लिए चीनी मिलों को बाध्य करते हैं, खाण्डसारी इकाईयों, खडे. कोल्हुओं की स्थापना के लिए लाईसेंस देने एवं नवीनीकरण का कार्य करते हैं, इन इकाईयों पर अपेक्षित कर का निर्धारण करते हैं तथा अनियमितताओं के लिए चीनी मिलों की तरह उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हैं।

<u>गन्ना परिक्षेत्र :</u>

<u>नियंत्रक अधिकारी</u>

<u>सहयोगी अधिकारी :</u>

क0सं0	परिक्षेत्र का नाम	सम्बद्ध जिले
1.	मेरठ	मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, बागपत
2.	सहारनपुर	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर
3.	मुरादाबाद	बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, जे0पी0 नगर
4.	बरेली	बरेली, पीलीभीत, शाहजहॉपुर, बदायॅू, अलीगढ़, मथुरा काशीराम नगर।
5.	लखनऊ	लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, हरदोइकानपुर देहात, फर्रूखाबाद, उन्नाव,

		लखनऊकानपुर
6.	फैजाबाद	फैजाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बाराबंकीअम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर
7.	देवीपाटन	गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराईच
8.	गोरखपुर	गोरखपुर, बस्ती महराजगंज, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर।
9.	देवरिया	देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ,

<table>
<tr><td colspan="3">विभागीय मंत्री जी
श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी</td></tr>
<tr><td colspan="3">सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
श्री कामरान रिजवी</td></tr>
<tr><td colspan="3">विशेष सचिव,
श्री विनयप्रिय्र दुबे,</td></tr>
<tr><td colspan="3">संयुक्त सचिव
श्री विजय कुमार तिवारी</td></tr>
<tr><td colspan="3">उप सचिव
श्री ध्यान पाल सिंह चौहान</td></tr>
<tr><td colspan="3">अनु सचिव
श्री धीरज पाण्डे</td></tr>
<tr><td>अनुभाग अधिकारी,
चीनी उद्योग अनुभाग–1
श्री अशोक कुमार लाल</td><td>अनुभाग अधिकारी,
चीनी उद्योग अनुभाग–2
श्री जोगेन्द्र प्रसाद</td><td>अनुभाग अधिकारी,
चीनी उद्योग अनुभाग–3
श्री विनय शंकर पाण्डेय</td></tr>
</table>

समीक्षा अधिकारीगण श्रीमती रीता राव, श्री शिव परसन श्री विजय कुमार पाण्डेय	समीक्षा अधिकारीगण श्री निरंजन प्रसाद श्री सुरेश कुमार श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव श्रीमती शैल प्रभा सिंह	समीक्षा अधिकारीगण श्री हरि प्रसाद सिंह श्री आत्म प्रकाश पाण्डेय श्री चंदन कुमार सिंह श्रीमती गुर शरन कौर सोढ़ी श्रीमती मीना टण्डन
सहायक समीक्षा अधिकारी रिक्त	सहायक समीक्षा अधिकारी श्री अमर सिंह राठौर,	सहायक समीक्षा अधिकारी श्रीमती मृदुला जयदीप

कम्प्यूटर सहायक श्री आलोक कुमार राय	कम्प्यूटर सहायक श्री वीरेन्द्र कुमार	कम्प्यूटर सहायक रिक्त
जूनियर ग्रेड क्लर्क श्रीमती नीरू बाला श्रीमती अंजुलता	जूनियर ग्रेड क्लर्क रिक्त	जूनियर ग्रेड क्लर्क श्री सचिन तिवारी

बिन्दु–2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

सचिवालय राज्य सरकार का मुख्यालय है, जिसके द्वारा राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेश के प्रशासन पर नियंत्रण तथा जनहित के विभिन्न कार्यकलापों का संचालन सुनिश्चित करती है। सचिवालय विभिन्न विभागों में बटा हुआ है और प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव होता है। प्रमुख सचिव/सचिव के कार्यो में सहायता के लिए विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अनु सचिव उपलब्ध रहते हैं, जो प्रमुख सचिव/सचिव के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। विभागों को अनुभागों में विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक अनुभाग एक अनुभाग अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है। अनुभाग में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कम्प्यूटर सहायक, जूनियर ग्रेड क्लर्क एवं अनुसेवक आदि कार्मिक कार्य करते हैं।

बिन्दु–3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

सचिवालय के विभागों को सामान्यतया दो श्रेणियों में वर्गीकत किया गया है प्रथम प्रशासनिक व दूसरा परामर्शदात्री विभाग, जो विभाग प्रशासकीय विभागों के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं की व्याख्या करते हुए परामर्श/सहमति देते हैं, ये विभाग वित्त, नियोजन, न्याय, विधायी तथा

कार्मिक विभाग। गन्ना विकास एंव चीनी उद्योग विभाग द्वारा अपने अनुभागों के मध्य आवंटित कार्यों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है।

बिन्दु–4. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग से संबंधित कार्यों पर विभागीय अधिकारियों/मा0 मंत्री तथा मा0 मुख्यमंत्री एवं श्री राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार यथोचित निर्णय लिये जाते हैं।

बिन्दु–5. नियंत्रणाधीन धारित या कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

सचिवालय नियम संग्रह, यू0पी0 रूल्स ऑफ विजनेस, 1975, उ0प्र0 सचिवालय अनुदेश, विजनेस आफ यू0पी0(एलोकेशन) रूल्स, 1975 आदि नियमों, विनियमों, अनुदेशों में उल्लिखित कर्मचारियों के कर्तव्यों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

बिन्दु–6. ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में है–

चीनी उद्योग अनुभाग–1

1– गुड़ एवं खाण्डसारी से संबंधित नीति एवं खाण्डसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा 1967 के अन्तर्गत अपीलों का निस्तारण आदि।

2– चीनी आयुक्त के कार्यालय का अधिष्ठान, गन्ना निरीक्षकों, उप चीनी आयुक्तों व उनके स्टाफ की पदोन्नति, स्थाईकरण तथा सेवा नियमावली स्थानान्तरण तथा प्रत्यावेदन, शिकायतें एवं अनुशासनिक कार्यवाही।

3– चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास की स्थाई समिति।

4– चीनी खाण्डसारी तथा गुड़ पर कमेटियों एवं कमीशनों की अभ्युक्तियों का कार्यान्वयन

5– शुगर कमिश्नर कार्यालय का बजट तथा कार्यो की प्रगति की समीक्षा।

6– लोक लेखा समिति के कार्य।

7– चीनी उद्योग सचिव शाखा के अधिष्ठान से संबंधित समस्त कार्य।

8– आडिट आपत्तियों एवं उनका विवरण

9– मुख्य मंत्री कार्यालय तथा जन प्रतिनिधियों से प्राप्त संदर्भों से संबंधित कार्य।

10– विधान सभा/विधान परिषद तथा लोक सभा/राज्य सभा के प्रश्न/आश्वासनों तथा इनकी समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।

11– गन्ना चीनी नियंत्रण आदेश, 1961

12– समस्त नियमावलियां का संशोधन एवं अद्यावधिक करना।

13– उपरोक्त विषयों से संबंधित समस्त कोर्ट केसेज।

14– प्रमुख सचिव द्वारा समय–समय पर की गयी समीक्षा बैठकों के अनुसरण से संबंधित कार्य का समन्वय।

15– शीरा व अल्कोहल से संबंधित समस्त कार्य।

16– अन्य कोई विशेष कार्य, जो सचिव द्वारा आवंटित किया जाय।

चीनी उद्योग अनुभाग–2

1– उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम एवं उसकी इकाईयों अथवा आथराइज्ड कन्ट्रोलरों का शासन और मिल मालिकों के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत चलाई जा रही मिलों से संबंधित सभी मामले।

2– सहकारी चीनी मिलों/संघ से संबंधित सभी मामले।

3– चीनी उद्योग का प्लान/नान–प्लान बजट तथा विभाग के प्लान/बजट संरचना का समन्वय।

4– नई चीनी मिलों की स्थापना/विस्तार हेतु लाइसेंस की नीति एवं संस्तुति, जीर्ण मिलों का पुनर्वासन तथा विस्तारीकरण।

5– चीनी मिलों के निजीकरण से संबंधित नीति एवं अनुसरण/चीनी मिलों में राज्य सरकार की अंशपूंजी का विनियोजन।

6– शुगर डेवलपमेन्ट फण्ड से आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण परियोजनाओं के लिये ऋण तथा शासकीय गारण्टी प्रदान किया जाना।

7 (क) चीनी मिलों में प्रोद्योगिकी विकास तथा सह–उत्पादन की नीति निर्धारण

(ख) चीनी उद्योग से संबंधित विभिन्न समस्याओं का निराकरण एवं विकास की नीति (इन्सेन्टिव इत्यादि सहित) से संबंधित मामले।

(ग) श्रमिकों से संबंधित प्रकरण

(घ) चीनी उत्पादन की समीक्षा एवं उत्पादन की वद्धि के नीति संबंधित प्रकरण।

(ङ) वित्तीय संस्थाओं, एन0सी0डी0सी0 आदि के चीनी उद्योग से संबंधित प्रकरण तथा उनके ऋणों की स्वीकति एवं वापसी

(च) बीमार इकाईयों/बी0आई0एफ0आर0 से संबंधित प्रकरण आदि।

8– गन्ने के मूल्य निर्धारण एवं भुगतान से संबंधित कार्य।

9– चीनी मिलों में जल/वायु प्रदूषण संयत्रों की स्थापना तथा उत्प्रवाह के प्रकरण

10–सरकारी एवं सहकारी चीनी मिलों के अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच तथा अनुशासनिक कार्यवाही।

11– भूमि अर्जन तथा सीलिंग से अनुमति के समस्त मामले।

12– लोक लेखा समिति से संबंधित आडिट प्रस्तरों का अनुपालन/ अनुश्रवण।

13– उपरोक्त विषयों से संबंधित न्यायालय में चल रहे मुकदमें तथा निर्णय के मामलों की पैरवी।

14–उपरोक्त विषयों से संबंधित विधान सभा/परिषद/संसद के प्रश्न/आश्वासन

15–उपरोक्त पहलुओं से संबंधित प्रमुख टास्क का प्रति वर्ष निर्धारण उनकी समय–समय पर समीक्षा।

चीनी उद्योग अनुभाग–3

1– गन्ना विकास विभाग के राजपत्रित अधिकारियों का अधिष्ठान, अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रत्यावेदन, दण्ड के विरूद्ध अपीलें, प्रोन्नति, स्थायीकरण, स्थानान्तरण आदि।

2–(क) प्रदेश में गन्ना विकास कार्य/योजनाओं, उत्पादकता एवं गन्ने में सुकोज की मात्रा में वद्धि का अनुसरण, अंतर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण आदि।

(ख) गन्ना विकास की आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर योजनायें–वित्तीय स्वीकति एण्ड उपयोग, प्रगति की समीक्षा।

3– गन्ना आपूर्ति तथा बान्डिंग नीति, आरक्षण आदि से संबंधित मामले।

4– उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ एवं समितियों के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा, प्रशासनिक मामले, वित्तीय प्रबन्ध आदि।

5–गन्ना बीज एवं विकास निगम के कार्यो की भैातिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा , अन्य सभी संबंधित विषय।

6– गन्ना शोध परिषद के कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं सभी संबंधित विषय।

7–गन्ना किसान संस्थान के कार्यों की भौतिक एंव वित्तीय प्रबन्ध की समीक्षा एवं अन्य सभी संबंधित विषय मामले।

8–गन्ना विकास परिषदों से संबंधित कार्य।

9–एस0डी0एफ0 (गन्ना विकास से संबंधित) भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं सभी संबंधित प्रकरण।

10– शक्कर निधि से संबंधित सभी कार्य–स्वीकतियॉ और वसूली आदि।

11– गन्ना कमीशन, परचेज टैक्स आदि से संबंधित प्रकरण।

12– उपरोक्त विषयों से संबंधित विधान सभा/संसद प्रश्नों का उत्तर।

13–गन्ना क्रय केन्द्रों संबंधित तौल, खरीद, आपूर्ति की शिकायतें, अपीलें तथा गन्ना का वहिर्गमन आदि के मामले।

14–उपरोक्त विषयों से संबंधित समस्त कोर्ट केसेज।

15– उपरोक्त पहलुओं से संबंधित प्रमुख लक्ष्यों (टास्क) का प्रति वर्ष निर्धारण एवं उनकी समय–समय पर समीक्षा ।

बिन्दु–7. किसी व्यवस्था का विवरण, जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग से संबंधित कार्यों पर विभागीय अधिकारियों/मा0 मंत्री तथा मा0 मुख्यमंत्री एवं श्री राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार यथोचित निर्णय लिये जाते हैं।

बिन्दु–8. बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दों से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।

विभाग के अधीन नियंत्रणाधीन परिषद ,समितियों/अन्य निकायों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है।

बिन्दु–9. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के मा0 मंत्री, अधिकारीगण एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र0सं0	नाम व पदनाम	दूरभाष	
		कार्यालय	आवास/मो

			बाइल
1	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मा0 मंत्री,	2238088 2213272	2235446 2236928
2	श्री कामरान रिजवी सचिव गन्ना विकास	2238674 2235328	2238476
3	श्री विनयप्रिय्र दुबे, विशेष सचिव	2214509 2237130	2208899 9454413151
4	श्री विजय कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव	2214623	2612931 9454413149
5	Jh /;ku iky flg PkkgkUk उप सचिव	2214570	2648342 9454413139
6	श्री धीरज पाण्डे, अनु सचिव	2214717	2326379 9454413146
7	श्री अशोक कुमार लाल, अनुभाग अधिकारी	2214533	9454413017
8	श्री जोगेन्द्र प्रसाद, अनुभाग अधिकारी	2214550	9454413144
9	श्री विनय शंकर पाण्डेय, अनुभाग अधिकारी	2214549	9454413152

10	शिवपरसन	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
11	बृजेश कुमार	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
12	विजय कुमार पाण्डेय	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800

13	श्रीमती रीता राव	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
14	...	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
15	सुरेश कुमार	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
16	निरंजन प्रसाद	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
17	कु0 शैल प्रभा सिंह	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
18	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
19	श्रीमती गुरशरण	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800

	कौर सोढ़ी		
20	हरि प्रसाद सिंह	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
21	आत्म प्रकाश पाण्डेय	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
22	चंदन कुमार	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
23	श्रीमती मीना टण्डन	समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
24	श्रीमती मृदुला जयदीप	सहा0समी0 अधिकारी	रू0 9300–34,800
25	अमर सिंह राठौर	सहा0 समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
26	अश्वनी कुमार सिंह	सहा0 समीक्षा अधिकारी	रू0 9300–34,800
27	आलोक कुमार राय	कम्प्यूटर सहायक	रू0 5200–20,200
28	वीरेन्द्र कुमार	कम्प्यूटर सहायक	रू0 5,200–20,200
29	श्रीमती नीरू बाला	जूनियर ग्रेड क्लर्क	रू0 5200–20,200
30	श्रीमती अन्जुलता	जूनियर ग्रेड क्लर्क	रू0 5200–20,200
31	श्री सचिन तिवारी	जूनियर ग्रेड क्लर्क	रू0 5200–20,200
32	बाबू लाल	अनुसेवक	रू0 5200–20,200
33	राजेन्द्र कुमार	अनुसेवक	रू0 4440–7440
34	अवधेश यादव	अनुसेवक	रू0 4,440–7,440
35	रमाकान्त श्रीवास्तव	अनुसेवक	रू0 4,440–7,440
36	लालजी सिंह	अनुसेवक	रू0 5200–20,200
37	मो0 शफीक	अनुसेवक	रू0 4,440–7,440
38	सन्तराम	अनुसेवक	रू0 4,440–7,440
39	मो0 सिद्दीक अंसारी	अनुसेवक	रू0 4,440–7,440
40	अली अहमद	अनुसेवक	रू0 4,440–7,440
41	श्रीमती सोना देवी	अनुसेविका	रू0 4,440–7,440
42	राकेश कुमार मिश्र	अनुसेवक	अनुबन्धित वेतन
43	अशोक कुमार बारी	अनुसेवक	अनुबन्धित वेतन

बिन्दु–11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

वर्ष 2010–11 में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर मदों में प्राविधानित धनराशि

आयोजनागत

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना	अनुदान संख्या	प्राविधानित धनराशि	अभ्युक्ति
1	सघन गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)	23(सामान्य) 83(एस0सी0पी0)	300.00 140.00	
योग			440.00	
2	अन्तर ग्रामीण सड़क निर्माण योजना(जिला योजना)	23(सामान्य) 83(एस0सी0पी0)	3672.00 820.00	
योग			4492.00	
3	राष्ट्रीय कषि विकास योजना(केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना) मैक्रोमोड मैनेजमेंट आफ एग्रीकेल्चर	23	680.00	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना 90 प्रतिशत केन्द्र पोषित एवं 10 प्रतिशत राज्यांशहेतु 68 लाख का प्राविधान है। (नोडल विभाग कषि विभाग)

बिन्दु–14. किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

विभाग की वेबसाइट www.upcane.org तथा अन्य संस्थानों की भी वेबसाइटे है यथा उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद की वेबसाइट uocsr.org। उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ की वेबसाइट www.upsugarfed.org, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की वेबसाइट–www.upsugarcorp.com. उ0प्र0 गन्ना समिति संघ की वेबसाइट–www.upcanefed.org और उ0प्र0 गन्ना किसान संस्थान की वेबसाइट–www.upganna sansthan.in आदि हैं।

बिन्दु–15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

————————

बिन्दु–16. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

क0सं0	नाम / पदनाम	कार्यालय दूरभाष	आवास दूरभाष
1	श्री विनयप्रिय दुबे, विशेष सचिव / अपीलीय अधिकारी	2214509 2237130	2208899 9454413151
2	**Jh /;ku iky flg PkkgkUk** उप सचिव / जन सूचना अधिकारी	2214570	2648342 9454413139